ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से बबिता बनी कुशल व्यवसायी
(पृष्ठ – 02)

अंजना ने सवांरी अपनी जिन्दगी
(पृष्ठ – 03)

रूनी ने रोजगार की ओर बढ़ाया कदम
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – अप्रैल 2023 ।। अंक – 21

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली बिहार की तस्वीर

बिहार सरकार द्वारा शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का जीविकोपार्जन संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राज्य योजना अंतर्गत सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गयी। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में किया जा रहा है। जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों का चयन कर उन्हे योजना से लाभान्वित किया जा रहा है तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य किया जा रहा है।

जीविका द्वारा योजना के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह योजना बिहार राज्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को गति प्रदान कर रही है, जिससे जुड़कर राज्य के अत्यंत निर्धन परिवार अब आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर सशक्त होकर उन्नति की पथ पर अग्रसर है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन के अपेक्षित परिणाम सामने आने लगे है, जिससे लाभान्वित होने वाले परिवारों सहित बिहार की भी तस्वीर बदल रही है।

जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने वाले योग्य परिवारों के चयन के दौरान सामुदायिक जन–सहभागिता तथा पारदर्शिता बनाए रखने पर जोड़ दिया जाता है, जो की इस योजना के क्रियान्वयन में एक कारगर कदम साबित हो रही है। जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों द्वारा सामुदायिक संसाधन सेवियों की टीम गठित कर लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव कराने हेतु गृह भ्रमण किया जाता है तथा योग्य परिवारों को चिन्हित करते हुए सूचिकरण किया जाता है। जीविका प्रखंड इकाई एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों की टीम द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों की सूची पर चर्चा एवं उसके सत्यापन हेतु संबन्धित सामुदायिक संगठन की बैठक का आयोजन किया जाता है तथा बैठक में चर्चा के उपरांत संतुष्ट होने पर चयनित परिवारों के चयन का अनुमोदन संबन्धित सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है।

लक्षित परिवारों के चयन उपरांत जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवार के पास घरेलू स्तर पर उपलब्ध मौजूदा संसाधन के उपयोग का आकलन और जीविकोपार्जन निवेश के लिए जीविकोपार्जन विकल्प को अंतिम रूप देना है। परिवार की हुनर, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए परिवार के लिए उपयुक्त जीविकोपार्जन विकल्प का चुनाव किया जाता है।

जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना (Livelihood Micro Planning) के आधार पर संबन्धित लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु रु० 1,00,000/– प्रति परिवार निवेश में सहयोग दिया जाता है। इसके साथ–साथ लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक 1000 रुपए प्रति माह (7 माह तक) सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित होकर चयनित परिवार अपने रुचि के अनुरूप स्वरोजगार कर रही है। इन परिवारों द्वारा किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, फल–सब्जी दुकान, सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर, बकरी एवं मुर्गी पालन, गव्य पालन समेत कई अन्य व्यवसाय किया जा रहा है। जिससे इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है तथा उनके सपने साकार हो रहे है। स्वरोजगार से आमदनी और मुनाफा से झोपड़ियाँ अब पक्के मकान में बदल रहे है। परिवारों को भरपेट भोजन मिल रहा है तथा इनके बच्चे–बच्चियाँ अब पढ़ने के लिए विद्यालय की ओर रुख कर रहे है। योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों में से कई परिवारों ने अपने व्यवसाय का विस्तारीकरण / विविधिकरण किया है तथा अपने व्यवसाय की संख्या को 2–3 व्यवसाय में तब्दील कर लिया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से बबिता बनी कुशल व्यवसायी

बेगूसराय जिला के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत रामदिरी पंचायत के रामदिरी गांव की बबीता कुमारी श्रद्धा जीविका स्वयं सहायता समूह एवं गुलाब जीविका महिला ग्राम संगठन से जुड़ी हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित होने के पूर्व उनके परिवार का भरण–पोषण उनके पति गोपाल कुमार के द्वारा कमाए गए मजदूरी से होती थी। एक दिन अचानक गोपाल बीमार हो गए। बबिता ने अपने पति के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया पर पति को नहीं बचा पाई। पति की मौत के बाद बबिता के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी। घर की दयनीय स्थिति को संभालने के लिए बबिता दुकानों में मजदूरी का कार्य करने लगी। मजदूरी से होने वाली आमदनी से बड़ी मुश्किल से उनके परिवार का भरण–पोषण हो पाता था।

बबिता की आर्थिक स्थिति को देखकर गुलाब जीविका महिला ग्राम संगठन ने उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में अक्टूबर 2019 में कर लिया गया। लाभार्थी के रूप में चयनित होने के बाद बबिता ने योजना की मदद से कपड़े की दुकान का संचालन प्रारंभ किया। दीदी के प्रयास का परिणाम नजर आने लगा। छोटा व्यवसाय धीरे–धीरे आकार लेने लगा। अब वह एक बड़े दुकान की मालकिन बन चुकी हैं। विगत ढ़ाई साल में दीदी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। अब वह अपने परिवार का भरण–पोषण बेहतर तरीके से कर रही हैं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाना प्रारंभ कर दिया है। दीदी की उत्पादक संपत्ति बढ़कर एक लाख से ज्यादा हो गयी है। दीदी को प्रतिमाह 10 हजार से ज्यादा की आमदनी भी हो रही है।

बबिता कुमारी बताती हैं कि–'सतत् जीकिकोपार्जन योजना से जुड़ाव के बाद मेरे अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया। मेरी आर्थिक समस्या का समाधान हो गया है। योजना से जुड़ाव के बाद जन वितरण प्रणाली से जुड़ाव, बैंक में व्यक्तिगत खाता, आवास की सुविधा, बीमा का लाभ, स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाओं का लाभ भी मुझे मिला है।'

शुक्रिया ने अपने हाथों लिखी अपनी तकदीर

गाँव के अत्यंत गरीब परिवार और महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में बिहार सरकार की सतत् जीविकोपार्जन योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। जीविका के माध्यम से संचालित सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर शुक्रिया देवी की पहचान अब ग्रेजुएट दीदी के रूप में है। एक ग्रेजुएट दीदी के तौर पर सारे मानकों को पूरा करने के बाद उन्हें द्वितीय क़िस्त के तौर पर साढ़े तेरह हजार रुपये ग्राम संगठन के माध्यम से दिया गया।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत वह दीदी ग्रेजुएट दीदी कहलाती हैं, जिनके घर में बुनियादी सुविधाएँ इस योजना से जुडाव के बाद उपलब्ध हुआ हो। लक्ष्मी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य शुक्रिया देवी लखीसराय जिला अंतर्गत लखीसराय प्रखंड स्थित परइया गाँव की रहने वाली हैं। वर्ष 2019 में भविष्य जीविका महिला ग्राम संगठन ने इनके नाम का अनुमोदन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया। इनके रूचि के अनुरूप योजना के प्रावधान के तहत किराना दुकान के लिए विशेष निवेश निधि के रूप में दस हजार रुपये की राशि दुकान निर्माण के लिए दिया गया। तत्पश्चात जीविकोपार्जन निवेश निधि के अंतर्गत 20 हजार रुपये की संपत्ति दी गई। साथ ही जीविकोपार्जन अंतराल सहयोग राशि प्रति माह एक हजार रूपये सात माह तक दी गई। दुकान से हुए मुनाफे से शुक्रिया देवी ने श्रृंगार का भी सामान बेचना शुरू कर दिया। प्रति दिन लगभग तीन हजार रुपये की बिक्री हो जाती है। इससे इन्हें तीन से चार सौ रुपये का मुनाफा हो रहा है। उनके बच्चें पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे हैं। मुनाफे की राशि से इन्होने तीन बकरी भी खरीद लिया है। द्वितीय क़िस्त की राशि से शुक्रिया देवी ने दुकान को बड़ा आकार दिया है। शुक्रिया देवी अब दुकान के आय–व्यय का हिसाब खुद ही रखती है। वह हस्ताक्षर करना भी सीख गई है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बबीता की जिंदगी में लाया बदलाव

बबीता देवी अररिया जिला के भरगामा प्रखंड की रहने वाली है। बबीता देवी का पारिवारिक पेशा पारंपरिक रूप से देशी शराब बनाकर बेचना था। 2016 में सरकार द्वारा शराब बंदी के बाद बबीता का रोजगार बंद हो गया। जिसके बाद वो दूसरों के खेतों में काम कर अपने परिवार की परवरिश करने लगी। लेकिन, इससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार की परवरिश ठीक से हो सके। जिसकी वजह से वो परेशान थी।

इनकी खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए राधिका जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत किया गया। दीदी ने किराना दुकान शुरू करने का फैसला किया। वर्ष 2021 में योजना के तहत सबसे पहले विशेष निवेश निधि 10,000 की राशि दी गई। दीदी ने विशेष निवेश निधि से दुकान का निर्माण करवाई। जिसके बाद ग्राम संगठन द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत प्राप्त 20,000 रुपये की सामान खरीदकर बबीता देवी की किराना दुकान प्रारंभ किया गया। इसके बाद दीदी को प्रत्येक महीना 1000 रुपये जीविकोपार्जन अन्तराल सहायता राशि के रूप में सात महीने तक दी गई। बाद में दीदी को दूसरी किस्त के रूप में 27,000 रुपये दिए गए। बबीता ने इन रूपयों से किराना दुकान के साथ–साथ मनिहारी दुकान भी करने लगी। जिससे इनकी आमदनी में इजाफा हुआ। अब दीदी दुकान के साथ–साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन और खेती भी करने लगी हैं। इस प्रकार दीदी के पास वर्त्तमान में कुल सम्पत्ति 1 लाख 10 हजार रुपये है और मासिक आमदनी लगभग 10 हजार रूपये है। अब बबीता देवी अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छे ढंग से कर रही हैं। दीदी अपनी बेटी को पढ़ा भी रही हैं।

अंजना ने सवांरी अपनी जिन्दगी

पूर्णियाँ जिले के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत रामपुर तिलक पंचायत के बसंती टोला गाँव में अंजना देवी निवास करती है। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिन्दगी जी रही थी। उनकी पाँच बेटियां हैं। एक सड़क दुर्घटना में उनके पति गंभीर रुप से चोटिल हो गए। पति का इलाज कराते–कराते घर की सारी संपत्ति खत्म हो गयी। जिससे अंजना देवी का परिवार काफी दु :खद जिन्दगी जीने लगा। दीदी के परिवार को कई दिन भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता था।

अंजना देवी के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरस्वती जीविका महिला ग्राम संगठन ने उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभुक के रुप में किया। सूक्ष्म नियोजन के दौरान अंजना देवी ने जीविकोपार्जन हेतु किराना दुकान को पसंद किया। क्षमतावर्द्धन एवं उद्यम विकास पर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान व्यापार करने के लिए सिखाया गया। प्रशिक्षण के बाद ग्राम संगठन द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि की 20,000 रुपये से उनकी किराना दुकान की शुरूआत की गयी। दुकान से हुयी आमदनी में से बचत कर वह एक गाय खरीदकर पालने लगी। विशेष निवेश निधि की राशि मिलने के बाद उन्होंने खेती का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। वर्त्तमान में उनकी मासिक आमदनी 4500 रू0 से अधिक है। इस आमदनी से वह अपने पति का इलाज कराने के अलावा अपने बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। समूह में जुड़ाव के बाद अंजना दीदी को सभी सरकारी सुविधाएँ मिल चुकी है। जीविका के द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित होकर एक बेहतर जिंदगी जी रही अंजना दीदी आज अपने गाँव की अनेकों महिलाओं के लिए एक मिसाल है। अपनी भावी सोच को बताते हुए अंजना देवी कहती हैं कि–'मैं अपने व्यवसाय को और बड़ा करना चाहती हूँ।'

रूनी ने रोजगार की ओर बढ़ाया कदम

रूनी देवी सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखण्ड के गभीरार गांव की निवासी हैं। वह अनुसूचित जनजाति से आती है। उनके पति मजदूरी कर अपने परिवार का पालन–पोषण करते थे। एक दिन उनके पति की तबियत खराब हो गयी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रूनी की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। उनके पास कोई रोजगार नहीं था। एक बच्चा सहित खुद का पालन–पोषण काफी मुश्किल हो गया था। उनके पास रहने के लिए ना तो ढंग का घर था, ना ही दोनों वक्त भोजन करने के लिए राशन था। कई बार तो दीदी अगल –बगल से मांग कर अपने बच्चा का पेट भरती थी। फिर रूनी दीदी खुद ही मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चला रही थी और अपने बच्चा का पालन–पोषण कर रही थी। परन्तु उनको प्रतिदिन काम नहीं मिलता था।

इस बीच जीविका द्वारा रघुनाथपुर प्रखंड के गभीरार पंचायत में सतत् जीविकोपार्जन योजना में अत्यंत गरीब परिवारों के चयन हेतु सी॰आर॰पी॰ ड्राईव चलाया गया। ड्राईव के दौरान रूनी देवी की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए हरियाली जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा 31 मार्च 2020 को उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी में रुप किया गया। रूनी दीदी ने रोजगार करने के लिए किराना दुकान करने का चयन किया। इसके बाद योजना अंतर्गत रूनी दीदी को विशेष निवेश निधि के तहत किराना दुकान निर्माण के लिये 10,000 रुपये मिला जिससे उन्होंने एक गुमटी खरीदी।

इसके बाद जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत प्राप्त 20,000 रुपये से ग्राम संगठन की खरीदारी समिति के सदस्यों और एमआरपी के सहयोग से दुकान के लिए किराने सामग्री की खरीदारी कर रूनी देवी की किराना दुकान का संचालन शुरु किया गया। रूनी दीदी अपने किराना दुकान में शुरू से ही मेहनत करने लगी । जिससे शुरुआती दौर में ही दुकान में बिक्री अच्छा होने लगा। प्रतिदिन 800–1500 तक बिक्री होने लगा। जिससे आमदनी भी लभगभ 100 रुपये प्रतिदिन होने लगा। उसमें से अपने दुकान में बिक्री के हिसाब से बचत करने लगी। रूनी दीदी अपना दुकान समय पर खोलती और समय पर बन्द करती हैं। इसके अलावा दीदी को जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रुप में शुरुआत में सात माह तक 1000 हजार रुपए प्रति माह मिला। उस पैसे को एकत्रित कर और कुछ बचत वाले पैसे मिलाकर एमआरपी की सहायता से उन्होंने दुकान के लिए श्रृंगार सामग्री की खरीदारी की। अपने घर के बगल में ब्रह्म स्थान के पास सोमवार और शुक्रवार को लगने वाले मेला में रूनी दीदी अपना श्रृंगार का दुकान लगाना शुरू कर दी। मेले के दिन 4000 हजार रुपए के लगभग का बिक्री हो जाता है। इस तरह से रूनी दीदी को प्रत्येक माह श्रृंगार एवं किराना दुकान से 6000–8000 रुपये आमदनी हो जाता है। आज उनकी परिसंपत्ति लगभग 70,000 रुपये की हो गई है। अब वह अपने बच्चे को पढ़ने के लिए रोजाना स्कूल और ट्यूशन भी भेजती हैं। 2 सितंबर 2022 को योजना के मानकों को पूरा करने पर उन्हें ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद जीविकोपार्जन निवेश निधि–2 के तहत राशि आने के बाद उन्होंने बचत किए गए राशि को मिला कर एक गाय ख़रीदी और उसका पालन कर रही हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिले व्यवसाय से दीदी काफी खुश हैं। उन्हें तथा उनके बच्चे को प्रतिदिन भरपेट दो वक्त का पौष्टिक भोजन मिलता है। दीदी को अवास योजना का लाभ मिला है, जिससे दीदी अपना घर भी बना ली हैं। रूनी दीदी को सतत् जीविकोपार्जन योजना में जुड़ने के बाद दीदी बीमित हुई हैं तथा राशनकार्ड भी बना है, और दीदी को विधवा पेंशन के रूप में प्रत्येक माह 400 रुपये भी मिलने लगा है। रूनी दीदी अपने बच्चों को बहुत आगे तक पढ़ाना चाहती है। समाज में भी अब लोग रूनी दीदी को काफी इज्जत देते हैं जो कि पहले नहीं मिल पाता था। दीदी की मेहनत काफी काबिलेतारीफ है जो अपने दम और मेहनत से अपना परिवार चलाने में सफलता पाई है। रूनी दीदी यहीं तक ही रुकना नहीं चाहती है बल्कि और आगे बढ़ना चाहती है। वह भविष्य में अपने किराना की दुकान को होलसेल में तब्दील करना चाहतीं है। ठेला की जगह एक दुकान लेना चाहती ताकि उनका आमदनी और बढ़ सके। इस तरह से रुनी दीदी सतत् जीविकोपार्जन योजना में जुड़कर आर्थिक और सामाजिक रुप से सशक्त हुई है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन – राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, सिवान
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार
- श्री मनीष कुमार – प्रखंड परियोजना प्रबंधक